

(R E A)

क्रिया

2/14, शांतिनिकेतन दूसरी मंज़िल
नई दिल्ली – 110 021
भारत

टेलीफोन : 91-11-24117983, 91-11-24114733
टेलीफेक्स : 91-11-24113209
www.creaworld.org

(R E A)

क्रिया

355 लेक्सिंग्टन एवेन्यू, तीसरी मंज़िल
न्यूयॉर्क, एन वाई – 10017
यू एस ए

टेलीफोन : 1-212-599-1071
www.creaworld.org



नारिका

पी ओ बॉक्स 14014
बर्कली, सी ए 94712
यू एस ए

टेलीफोन : 1-800-215-7308
www.narika.org



एशियन पैसेफिक इज़लैंडर लीगल आउटरीच

1188 फ्रैंकलिन स्ट्रीट, सूट 202
सैन फ्रैनसिस्को, सी ए 94109
यू एस ए

टेलीफोन : 1-415-567-6255
www.apilegaloutreach.org

अपने अधिकारों को जानें

यूनाइटेड
स्टेट्स में
घरेलू
हिंसा

दक्षिण एशियाई
महिलाओं के
लिए उपाय

घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा में पारस्परिक संबंध या घरेलू दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की कार्यवाही या व्यवहार जिससे शारीरिक, मानसिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, यौनिक या आर्थिक नुकसान या तकलीफ पहुँचती है, शामिल हैं। दुर्व्यवहार करने वाला/ली दूसरे व्यक्ति को डराने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए घरेलू हिंसा का इस्तेमाल करता(ती) है। घरेलू हिंसा का अर्थ शारीरिक या मनोवैज्ञानिक डर हो सकता है और यह विषमलैंगिक व समलैंगिक दोनों प्रकार के संबंधों में हो सकती है।

दुर्व्यवहार के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:—

- धमकी (इसमें निर्वासन और बच्चे का अपहरण भी शामिल है)
- डराना
- उकसाना
- थप्पड़ मारना
- मांग करने पर यौन प्रदान करना
- देखभाल से इन्कार
- सहायता से इन्कार
- सार्वजनिक रूप से अपमान
- फर्नीचर व सम्पत्ति को नष्ट करना
- आपको दुख पहुँचाने के लिए परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित करना
- दुर्व्यवहार के लिए दूसरों को दोषी ठहराना
- उत्पीड़न
- धक्का देना
- गला घोटना
- सबसे अलग कर देना
- अनादर करना
- लात से मारना
- ईश्या व्यक्त करना

दुर्व्यवहार करने वाला(ली) निम्न हो सकते हैं:—

- पति/पत्नी
- प्रेमी/प्रेमिका
- सास-ससुर समेत परिवार के सदस्य
- समलैंगिक साथी
- सहकर्मी
- देखभाल करने वाला(ली)
- परिचित
- अजनबी

अच्छी पत्नी, माँ, बेटी, बहू, बहन या सहेली बनने के लिए आपको चुपचाप दुख सहने की जरूरत नहीं है।

क्या यूनाइटेड स्टेट्स में भारतवासियों के साथ घरेलू हिंसा होती है?

- आँकड़ों से पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सभी प्रजातियों की महिलाएं दुर्व्यवहार के लिए समान रूप से असुरक्षित हैं।
- लगभग हर तीन में से एक महिला ने अपने जीवनकाल में घरेलू हिंसा का अनुभव किया है।
- घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी आर्थिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है।
- यूनाइटेड स्टेट्स में बीस से अधिक दक्षिण – एशियाई संस्थाएं हैं जो घरेलू हिंसा से बच कर आने वालों के लिए कार्यरत हैं।

घरेलू हिंसा से बच कर आने वालों के लिए दक्षिण – एशियाई विशेष सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए कृपया **नारिका** से 1-800-215-7308 नि:शुल्क (टोल फ्री) पर सम्पर्क करें या उनकी वेबसाइट www.narika.org देखें।

यदि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया हो तो खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ?

पुलिस को बुलाएं :

यदि आप अभी भी खतरे में हैं और आपको दुर्व्यवहार करने वाले को होने वाले अप्रवासन परिणामों की चिंता नहीं है, तो तुरंत पुलिस (911) को बुलाएं। उन्हें आपके कॉल पर कार्यवाही करनी चाहिए और यदि उन्हें आपके साथ हुए दुर्व्यवहार का सबूत मिल जाए तो उनके पास आपातकालीन स्थगन आदेश जारी करने, दुर्व्यवहार करने वाले को गिरफ्तार करने, आपको घरेलू हिंसा, संसाधन उपलब्ध कराने, और दुर्व्यवहार करने वाले को आपसे अलग रखने का अधिकार है। यदि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकती हैं तो अनुवादक के लिए पूछें जिसका दुर्व्यवहार करने वाले से कोई संबंध न हो।

तुरंत सुरक्षा प्राप्त करें :

खुद को और बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं जैसे किसी मित्र या रिश्तेदार के घर। यदि आपको लगता है कि मारपीट करने वाला आप को ढूँढ़ सकता है तो प्रताड़ित महिलाओं के आश्रयगृह को फोन करें।

राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन 1-800-799-SAFE (7233)
पर फोन करके आप यूनाइटेड स्टेट्स में अपने क्षेत्र के प्रताड़ित महिलाओं के आश्रयगृह का नम्बर प्राप्त कर सकती हैं।

किसी भी प्रकार की चोट हो, रिपोर्ट करें :

डॉक्टर, अस्पताल या स्वास्थ्य क्लीनिक में जाकर चेकअप कराएं। यदि ज़रूरी हो तो फोटो ले जाएं। आपकी चिकित्सा रिपोर्ट गोपनीय है और यू एस सिटीजन्स एण्ड इमिग्रेशन (U. S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) जो पहले इमिग्रेशन एण्ड नैचुरलाइज़ेशन (Immigration and Naturalization Service INS) के नाम से जाना जाता था, को नहीं दिखाई जाएगी। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करें। किसी भी रिपोर्ट में आपकी सहायता करने वाले आफिसर या डॉक्टर का नाम व नम्बर लिख कर रखें।

कानूनी जानकारी और सहायता प्राप्त करें :

पारिवारिक कानून और सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी के लिए राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हॉटलाइन से परामर्श प्राप्त करें। सार्वजनिक लाभ के विशेष योग्यता नियम घरेलू हिंसा के शिकार लोगों पर भी लागू होते हैं। आप काउन्सलर, समाजकर्मियों या चिकित्सकों से भी परामर्श ले सकती हैं।

आपको अवरोध आदेश प्राप्त करने का अधिकार है :

न्यायालय का आदेश एक कानूनी दस्तावेज़ है, जिसके अनुसार दुर्व्यवहार करने वाला(ली) आपको या आपके परिवार वालों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यदि दुर्व्यवहार करने वाला(ली) न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन करता(ती) है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। आपकी या मारपीट करने वाले की अप्रवासन स्थिति चाहें जो भी हो, आप अवरोध आदेश प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय को आपकी स्थिति नहीं पूछनी चाहिए या आपकी अवस्था INS को नहीं बतानी चाहिए।

हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है?

मित्र, परिवार और आसपड़ोस के दूसरे लोग :

- उसके हाथों व सर पर असामान्य चोटें। दुर्व्यवहार करने वाला पीड़ित को जानबूझकर ऐसी जगह चोट पहुँचाता है जो दूसरों की नजर में आसानी से नहीं आती हो।
- वह आपको दुर्व्यवहार के बारे में बताती(ता) है।
- उसके फोन न आ पा रहे हों और वह फोन न कर पा रही(हा) हो।
- उसके घर लोग न आते-जाते हों।
- अपने साथी का मिज़ाज उसके बोलने से पहले ही पता चल जाता है।

कर्मचारी और सहकर्मी :

- उसकी(का) बार – बार काम छूट जाना
- उसकी(का) कार्यक्षमता में बदलाव आना
- उसको बार – बार असामान्य चोटें लगना
- उसको काम पर धमकियां या परेशान करने वाले फोन या लोगों का मिलने आना
- यदि वह आपको दुर्व्यवहार के बारे में बताती(ता) है

यदि मुझे मालूम है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती (ता) हूँ?

आवाज उठाएँ :

चुप रहने से दुर्व्यवहार करने वाले की हिम्मत बढ़ जाती है कि दुर्व्यवहार करना ठीक है। पुलिस बुलाने से यह संकेत मिलता है कि इस तरह के दुर्व्यवहार को सहन नहीं किया जाएगा। दुर्व्यवहार से बच कर आने वाले की वास्तविक रूप से दुर्व्यवहार को समझने में सहायता करें। हालाँकि आप यह नहीं कह सकते कि वह क्या निर्णय ले, परंतु आप सुन कर और निम्नलिखित के द्वारा सहायता कर सकते हैं :

- दुर्व्यवहार से बच कर आने वाले के साथ अन्य विकल्पों पर बातचीत करें कि यदि अगली बार उसके साथ दुर्व्यवहार हो तो उसे क्या करना चाहिए जैसे किसी सुरक्षित स्थान पर जाना।
- सामुदायिक संसाधनों की जानकारी उसके साथ बांटना।
- उसे बताएँ कि ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ वह एक बैग तैयार करे और उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखे ताकि वह जल्दी से भाग सके। बैग में जन्म, शादी और अप्रवासन प्रमाणपत्र, पहचान के लिए प्रमाण, चाबियाँ, पत्तों की किताब, बैंक की किताब और पैसे काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

स्थगन आदेश क्या हैं?

स्थगन आदेश एक कानूनी दस्तावेज़ अर्थात न्यायालय का आदेश है, जिसके अनुसार दुर्व्यवहार करने वाला आपको या आपके परिवार वालों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यदि दुर्व्यवहार करने वाला न्यायालय के इस आदेश का उल्लंघन करता(ती) है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।

स्थगन आदेशों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- न्यायालय के आदेश, जो कानूनी तौर पर दुर्व्यवहार करने वाले को आदेश देते हैं कि वह आपको न डराए, न धमकाए, न हमला करे और न ही आपसे संपर्क करे जिससे आपकी मानसिक शांति भंग होती हो।
- न्यायालय के आदेश, जो दुर्व्यवहार करने वाले को कहते हैं कि वह आपसे, आपके घर, काम, स्कूल या आपके बच्चों से दूर रहे।
- न्यायालय के आदेश, यदि आपके बच्चे हैं तो उनकी अभिरक्षा और सहायता की अनुमति देते हैं।
- न्यायालय के आदेश, जिनके अनुसार दुर्व्यवहार करने वाले को कोई भी चिकित्सा खर्च देना पड़ेगा जो शारीरिक दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप हुआ हो और आपकी सम्पत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना भी देना होगा।
- न्यायालय के आदेश, जो दुर्व्यवहार करने वाले को आपकी स्थिति के संबंध में INS से सम्पर्क करने से रोकते हैं।

क्या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से मैं परेशानी में पड़ सकती(ता) हूँ?

यूनाइटेड स्टेट्स में, दूसरे को चोट पहुँचाना या डराना कानून के खिलाफ है, फिर चाहे आप शादीशुदा हों या किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हों।

यदि आप अप्रवासी हैं तो सिर्फ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए आपको न निर्वासित किया जाएगा और न ही आप के बच्चे आप से छिने जाएंगे। यदि आप अप्रवासी हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि अपना संबंध खत्म करने के परिणामों के लिए आप कानूनी परामर्श प्राप्त करें।

कृपया अप्रवासी विकल्पों वाला खंड देखें।

यदि मुझे वापस दक्षिण-एशिया निर्वासित होने का डर हो तो?

आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स में रहने का विकल्प हो सकता है। यदि आपकी अप्रवासी स्थिति इस निन्दक रिश्ते में रहने की वजह है तो कृपया किसी अटार्नी से सम्पर्क करें जो आपको आपके विकल्पों का मूल्यांकन करने में सहायता कर सके।

**अप्रवासन परामर्श के लिए
एपीआई लीगल आउटरीच
(415) 567-6255 पर सम्पर्क करें।**

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम 1994

यदि आप नीचे लिखे मापदण्डों को पूरा करती हैं तो आप दुर्व्यवहार करने वाले से खर्च लिए बिना कानूनी तौर पर स्थायी निवास प्राप्त करने के योग्य हो सकती हैं :

- आपने अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति के साथ उस पर विश्वास करके शादी की;
- दुर्व्यवहार करने वाला आपका पति यू एस का नागरिक या कानूनी तौर पर स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड होल्डर) है
- अपने पति द्वारा आपको शारीरिक कष्ट या अत्यधिक मानसिक निर्दयता का सामना करना पड़ा है;
- आप अपने पति के साथ रही हैं;
- आपका चरित्र अच्छा है; और
- आपकी शादी अभी हुई है या आपकी शादी दो साल या उससे पहले खत्म हुई है।

स्थायी निवास से शर्तें हटाने की याचिका :

यदि आपके पास पहले ही शर्तबन्ध स्थायी निवास (2 साल की समाप्ति तारीख के साथ) है तो आप अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति/पत्नी की सहायता के बिना शर्तें हटाने के योग्य हो सकती हैं, अगर आप नीचे लिखे मापदण्डों को पूरा करती हैं तो :

- आपने अपने दुर्व्यवहार करने वाले पति/पत्नी के साथ उस पर विश्वास करके शादी की हो ;
- अपने पति/पत्नी द्वारा आपको शारीरिक कष्ट या अत्यधिक मानसिक निर्दयता का सामना करना पड़ा है, और
- आपके वैवाहिक संबंध टूट चुके हैं ;

जुर्म के शिकार

VAWA के प्रावधानों के अनुसार यदि घरेलू हिंसा समेत, आप जुर्म के शिकार हैं, तो आप यू वीज़ा प्राप्त करने के योग्य हैं और कानूनी स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति को अनुकूल बना सकते हैं। योग्य बनने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप किसी विशेष अपराधिक गतिविधि की जाँच-पड़ताल में सहायक रही हैं, सहायक हैं या सहायक हो सकती हैं।